संख्याः–657 / पाँच–9–2013–9(113) / 05

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश,शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण, महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2013

विषय–जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत "आशाओं" को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना चलायी जा रही है जिसमें एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत "आशाओं" (Accredited Social Health Activist) द्वारा गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों (जी0आई0 136 / 5–9–07–9 (113) / 05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007 शासनादेश सं0–3668 / 5–9.7–9(113) / 2005, दिनांक 19.02.2008 तथा शासनादेश सं0–3667 / 5–9–08–9 (113) / 05, दिनांक 05.03.2008) के अनुसार आशा द्वारा लाभार्थी महिला को सेवायें प्रदान करने पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रति प्रसव रू0 600.00 की धनराशि का भुगतान किया जाता है जिसमें रू0 250.00 परिवहन व्यवस्था हेतु रू0 150.00 महिला के साथ चिकित्सालय में रहने एवं भोजन आदि हेतु एवं रू0 200.00 आशा को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में देय होती है।

M (BS) / GM (MH)

2– प्रदेश में वर्तमान में 108 एम्बुलेन्स सेवा एवं उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सेवा के अन्तर्गत एम्बुलेन्स प्रत्येक ब्लाक स्तर पर उपलब्ध हो गयी हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं एवं आशाओं को चिकित्सालय तक पहुँचने की सुविधा हो गयी है। इसके अतिरिक्त सभी ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों तक गर्भवती महिलाओं को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार के पत्र संख्या–Z.14018/1/2012-JSY दिनांक 06.02.2013 द्वारा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के साथ–साथ गर्भावस्था के दौरान पूर्ण एवं गुणवत्तापरक प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि को संशोधित किये जाने हेतु के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

3— अतः भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 06.02.2013 में दिये गये निर्देशो के कम में जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु आशाओं को मिलने वाली संशोधित प्रोत्साहन धनराशि निम्नानुसार होगी :—

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिये—600.00 प्रति प्रसव
   - रू0 300.00 प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु
   - रू0 300.00 संस्थागत प्रसव में सहयोग हेतु
2. शहरी क्षेत्रों के लिये—रू0 400.00 प्रति प्रसव
   - रू0 200.00 प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु
   - रू0 200.00 संस्थागत प्रसव में सहयोग हेतु

4— इस सम्बन्ध में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने हेतु निम्नलिखित मानक व समय सारणी निर्धारित की जाती है :—

- दिनांक 01 जुलाई 2013 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत होने वाले संस्थागत प्रसवों पर प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु रू0 300.00 के भुगतान से पूर्व आशाओं को प्रसव हेतु लाई गयी लाभार्थी का एम0सी0पी0 कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर, मानक के अनुसार टिटनिस की सूइयाँ एवं 100 आयरन की गोलियाँ प्राप्त करने के साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा तभी वे यह प्रोत्साहन धनराशि पाने के लिये अर्ह होंगी।
- दिनांक 01 अक्टूबर 2013 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत होने वाले संस्थागत प्रसवों पर प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु रू0 300.00 के भुगतान से पूर्व आशाओं को प्रसव हेतु लाई गयी लाभार्थी का एम0सी0पी0 कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर, मानकानुसार टिटनिस की सूइयाँ एवं 100 आयरन की गोलियाँ प्राप्त करने के साथ—साथ 03 ए0एन0सी0 चेकअप का साक्ष्य भी उपलब्ध कराना होगा तभी वे यह प्रोत्साहन धनराशि पाने के लिये अर्ह होंगी।
- इसी प्रकार दिनांक 01 जनवरी 2014 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत होने वाले संस्थागत प्रसवों पर प्रसव पूर्व देखभाल में सहयोग हेतु रू0 300.00 के भुगतान से पूर्व प्रसव हेतु लाई गयी लाभार्थी का एम0सी0पी0 कार्ड पर आशाओं द्वारा उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त प्रसव पूर्व जाँचों में हीमोग्लोबिन की जाँच तथा एनीमिया की पहचान के साक्ष्य भी उपलब्ध कराना होगा तभी वे यह प्रोत्साहन धनराशि पाने के लिये अर्ह होंगी।

5— जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश (जी0आई0 136/5—9—07—9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007 शासनादेश सं0—3668/5—9. 7—9(113)/2005, दिनांक 19.02.2008 तथा शासनादेश सं0—3667/5—9—08—9 (113)/05,

दिनांक 05.03.2008 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें। कृपया आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

( प्रवीर कुमार )
प्रमुख सचिव,

संख्याः–657(1)/पॉच–9–2013 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) प्रमुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) प्रमुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
(9) प्रमुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(11) मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ
(12) अधिशासी निदेशक, सिफ्सा उ0प्र0, लखनऊ।
(13) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(14) निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
(15) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
(16) निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
(17) निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ।
(18) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(19) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(20) वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उ0प्र0, लखनऊ।
(21) चिकित्सा अनुभाग–1/6/10 ।
(22) गार्ड फाईल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
उप सचिव।